संख्याः 849/नौ–5–2014–55बजट/2006टीसी

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक/एसएलएनए,
नगरीय निकाय, उ0प्र0,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–5

लखनऊः दिनांकः २५ फरवरी, 2014

विषयः भारत सरकार द्वारा कियान्वित जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यकम के यू.आई.जी. कार्यान्श के अन्तर्गत आगरा सीवरेज फेज–1 पार्ट–2 परियोजना हेतु केन्द्रांश की कैप्ड की गयी धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– पीएमयू/45/124(4)/2014, दिनांक 06.02.2014 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जेएनएनयूआरएम कार्यकम के यू.आई.जी. कार्यान्श के अन्तर्गत आगरा सीवरेज फेज–1 पार्ट–2 परियोजना हेतु केन्द्रांश की कैप्ड की गयी धनराशि में कैपिंग शेयर के सापेक्ष अवशेष एवं अन्तिम राज्यांश की धनराशि **₹ 278.60 लाख (₹ दो करोड़ अठहत्तर लाख साठ हजार मात्र)** को निम्नांकित विवरण एवं शर्तों/उपबंधों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि लाख ₹ में)

क0	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत	अनुमन्य केन्द्रांश/ कैप्ड केन्द्रांश	केन्द्रांश की कैप्ड धनराशि	कैप्ड धनराशि में से अब तक अवमुक्त कुल धनराशि	अवशेष/स्वीकृत कैपड केन्द्रांश की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	आगरा सीवरेज फेज–1 पार्ट–2	19592.00	9796.00/ 9000.00	796.00	517.40	278.60

(1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी (एस0एल0एन0ए0) के खाते में रखी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(3) यथानिर्धारित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृति दी जा रही है। स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष निकाय अंश की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही एसएलएनए/निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा प्राथमिकता पर की जायेगी।

(5) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपकमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित प्रशासनिक विभाग तथा वित्त विभाग को दी जाये।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–37 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2217–शहरी विकास–05–अन्य शहरी विकास योजनाएं–191–नगर निगमों को सहायता –03–जेएनएनयूआरएम की योजनाओं हेतु सहायता (के.50/रा.20–के.+रा.)–35–पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकार के कम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव

संख्या: 849(1)/नौ–5–2014–55बजट/2006टीसी, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
3– संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– संबंधित महापौर/नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
5– प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6– वरिष्ठ लेखा अधिकारी/मुख्य/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
7– अनुसचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8– टीम लीडर, पीएमयू, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
9– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10– वित्त (ई–8) अनुभाग/वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–2
11– नियोजन अनुभाग–3/4
12– सुपर यूजर, नगर विकास विभाग/कम्प्यूटर सेल।
13– गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव